न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 24 / 2017 अपील (RCMS-00113/2017)
पंजीयन दिनांक – 03.05.2017
निर्णय दिनांक – 23.04.2018

1. श्री रोडा उर्फ रोडीलाल पुत्र खेमा तेली, निवासी मोही तहसील एवं जिला राजसमन्द

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री देवा पुत्र मथुरा तेली,
2. श्री रूपा उर्फ रूपलाल पुत्र मथुरा तेली,
3. श्री कालुराम पुत्र गोकल तेली,
4. श्री सोहनलाल पुत्र गोकल तेली,
5. श्रीमती डाईलाबाई पत्नि गोकल तेली,
6. श्री शंकरलाल पुत्र भेरा तेली,
7. श्री नारायण लाल पुत्र भेरा तेली,
8. श्री औंकारलाल पुत्र भेरा तेली,
9. श्री सुरेशचन्द्र पुत्र भेरा तेली,
10. श्रीमती बाली पुत्री भेरा तेली,

    सभी निवासीयान– मोही तहसील एवं जिला राजसमन्द।

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील एवं जिला राजसमन्द।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री एस.सी.त्रिवेदी – वकील अपीलान्ट
2. श्री कमलेश चौहान – वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या–1 से 3, 5, 6 व 10

अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद प्रकरण संख्या 15/2016 दिनांक 16.02.2017

निर्णय

दिनांक 23.04.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद प्रकरण संख्या 15/2016 दिनांक 16.02.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट अनुसार वह एवं रेस्पोडेंट मौजा मोही पटवार हल्का मोही तहसील व जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 124, 1088 व 1189 के संयुक्त खातेदार रहे हे। रेस्पोडेंट संख्या 3,4,5 व रेस्पोडेंट संख्या 6,7,8,9,10 अपीलान्ट के भाई स्व. श्री गोकल व श्री भेरा के वारिसान है, जिनके उपरोक्त खाते में से खाता संख्या 124 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा व खाता संख्या 1088 रकबा 12 बीघा 02 बिश्वा जमीन संयुक्त खाते में 1/3, 1/3 अंकित रही तथा खाता संख्या 1189 में उपरोक्त का संयुक्त रूप से 1/2 जिसमें इनका 1/3 यानि 1/6, 1/6 तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/2 अंकित रहा है। स्व. गोकल व भेरा के वारिसान द्वारा खाता संख्या 1189 में अंकित कुंआ का उनका कुलिया हिस्सा व सिंचाई का ओसरा समस्त अपीलार्थी के तय करते हुए विभाजन तय किया गया और उसी अनुसार विभाजन करने का बता कर यानि 1/2 में अपीलान्ट व अपीलान्ट की सहमति के विभाजन पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिये। अपीलान्ट के अनपढ़ एवं समझ कम होने से जिसे बराबर हक हिस्सा दिलाना बता विश्वास दिलाकर धोखें में रखते हुए 6/12, 6/12 यानि 1/2, 1/2 दर्ज करने का भरोसा दिलाकर 7/12 व 5/12 अंकित करा अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा लिये। उप तहसीलदार द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण विभाजन का आदेश करवा लिया जो काबिल निरस्त होने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर आराजी न. 2144 रकबा 7 बिश्वा किस्म कुआ व आराजी न. 2145/2 रकबा 6 बिश्वा किस्म चाही उत्तम जो रास्ते के लिये रखी गये, के बटवारें को निरस्त कर उसमें 1/2 यानि 6/12 अपीलान्ट का वास्तविक हिस्सा दर्ज कराने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा आदेश दिनांक 16.02.2017 से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट एवं

वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 से 3, 5, 6 व 10 उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 4,7,8,9 अनुपस्थित। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अपीलान्ट के अनपढ़ एवं समझ कम होने से जिसे बराबर हक हिस्सा दिलाना बता विश्वास दिलाकर धोखें में रखते हुए दौराने बटवारा 6/12, 6/12 यानि 1/2, 1/2 दर्ज करने का भरोसा दिलाकर 7/12 व 5/12 अंकित करा अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवा लिये। राजस्व रेकार्ड में स्पष्ट रूप से अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का हिस्सा उक्त वादग्रस्त आराजी के साथ साथ अन्य आराजी के खाते 1/2, 1/2 हिस्सा अंकित कर रखा था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव को राजस्व कर्मचारियों द्वारा भरा गया तथा उस वक्त कार्य की अधिकता होने की वजह से तथा अपीलान्ट के अशिक्षित होने के वजह से वह पक्षकारान के खाते में कई आराजीयात होने से व कई पक्षकारान होने की वजह से गहनतापूर्वक सभी प्रविष्ठियों को देखा जाना संभव नहीं था। इस प्रकार की त्रुटि सुधारने की अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपतहसीलदार कुंवारिया के आदेश दिनांक 23.06.2016 में विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने में मौजा व पटवार सर्कल मोही में स्थित आराजी न. 2144 आ.चा. जो कि कुंआ है व आराजी न. 2145/2 में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा यानि अपीलान्ट का 6/12 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का 6/12 हिस्सा अंकित कराने का अनुरोध किया है। साथ ही पूर्व में दर्ज प्रविष्ठी के अनुसार अपीलान्ट का 5/12 व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का 7/12 अंकित कर रखा है, उस आदेश का निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलान्ट के नाम 6/12 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का 6/12 हिस्सा की प्रविष्टियां दर्ज किये जाने का आदेश फरमाये जाने अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या–1 से 3, 5, 6 व 10 ने बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट की आपसी सहमति से उप तहसीलदार, कुंवारियात द्वारा आदेश दिनांक 23.06.2016 से किया गया। तत्पश्चात बटवारा आदेश की पालना में जरीये नामान्तरकरण वादग्रस्त भूमियां आपसी सहमति से खातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है। अपीलान्ट द्वारा आपसी सहमति से हुए बटवारा की गई भूमियों में पूरे रकबे पर अपील न कर कुछ हिस्से हेतु अपील की गई है, जिसमें कुंए व रास्ता भूमि में हिस्सा कम मिलना बताया गया जबकि हिस्सेदारी में अपीलान्ट को ज्यादा भूमि मिली है। विभाजन आपसी सहमति से हुआ है जबकि कुछ हिस्से पर आपत्ति है। पूरे विभाजन पर अपील की जा सकती है। नामान्तकरण

आदेशानुसार खोला गया। प्रस्तुत अपील आपसी सहमति के बंटवारा पर विभाजन होने से सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा उनके कथन के सम्बन्ध में वादग्रस्त आराजीयात/भूमियों की जमाबन्दी एवं लिखित दस्तावेज प्रस्तुत की है, उक्त दस्तावेजों एवं जमाबन्दी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विचार किया जाना प्रतीत नहीं होता है। राजस्व रेकार्ड में स्पष्ट रूप से अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का हिस्सा उक्त वादग्रस्त आराजी के साथ साथ अन्य आराजी के खाते 1/2, 1/2 हिस्सा अंकित कर रखा था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया। निर्णय दिनांक 16.02.2017 पारित किये जाने के समय अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये दस्तावेजों के परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। न ही अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई के अवसर प्रदान किये जाना प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर, राजसमन्द का आदेश दिनांक 16.02.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला कलक्टर, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर